



लखनऊ, नई दिल्ली और रायपुर से प्रकाशित

# पायनियर

www.dailypioneer.com

प्रशंसकों के प्यार  
ने इस ट्रॉफी की  
अहमियत बता दी  
स्पोर्ट्स-12



## नीट-यूजी रद्द करना तर्कसंगत नहीं, केंद्र ने कोर्ट से कहा



राजेश कुमार। नई दिल्ली

### नीट-पीजी 2024 के लिए नई तारीख घोषित, 11 अगस्त के होगी परीक्षा

कथित कदाचार को लेकर विवादों में घिरी नीट-यूजी, 2024 परीक्षा को रद्द करने की बढ़ती मांग के बीच, शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीटी) ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इसे रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा और इससे उन लायों को अनिवार्य करना चाहिए। एजेंसी ने शुक्रवार को सुनावाई कोर्ट को बढ़ावा दी जाती है कि अखिल भारतीय परीक्षा में गोपनीयता के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के किसी भी सबूत के अभाव में, पूरी परीक्षा और पहले से घोषित परिणामों को रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा। हलफनामे में कहा गया है कि किसी भी परीक्षा में, प्रतिस्पृशी अधिकार होते हैं ताकि ऐसे छात्रों के हित का नुकसान नहीं हो जे परीक्षा में कोई अनुचित तरीका नहीं अपनाते हैं।

इसमें कहा गया है, परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने से 2024 में परीक्षा देने वाले लायों ईमानदार उपर्युक्तों को गंभीर उक्तावन होगा। हलफनामे में कहा गया है कि केंद्र उन लायों छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जो कोई अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए प्रतिक्रिया देने की विवादों में शामिल होते हैं। इसमें कहा गया है, इसलिए, परीक्षा एजेंसी (एनटीटी), जो एम्बेबीएस-एस, एयूएस और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा 23 जून को होनी थी। बोर्ड ने कहा, एनटीटीएस के 22 जून 2024 के नोटिस के बाद परीक्षा में नीट-पीजी 2024 के नोटिस के बाद परीक्षा का कार्यक्रम अब पुनः निर्धारित किया गया है। अब यह 11 अगस्त को दो पालियों में होगी। नीट-पीजी 2024 में शामिल होने के लिए प्रवेश के उद्देश्य से (शेष पेज 9)





















